कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1272/सहारनपुर/17752/2016, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 06, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : शिवालिक वन प्रभाग में छुटमुलपुर–गणेशपुर भाग (एन0एच0–72ए) किमी0 4.100 से 16.000 तक तथा रूड़की–छुटमुलपुर–सहारनपुर–यमुनानगर (एन0एच0–73) किमी0 22.000 से 23.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सा0वा0 सहारनपुर वन प्रभाग में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन **कुल 70.201 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/48/2017/एफसी/75, दिनांक 14.08.17,
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0–158/14–2–2017–800(32)/2017, दिनांक 18.08.2017
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0–2323/14–2–2017–800(32)/2017, दिनांक 02.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र एवं शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक 18.08.2017 के कम में संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियॉ भारत सरकार से स्वीकृति निर्गत कराने हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 11.10.2017 द्वारा उ0प्र0शासन को प्रेषित की गयी थीं। उ0प्र0शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक 02.11.2017 द्वारा वन संरक्षक, सहारनपर के पत्र दि0 04.09.2017 की प्रति न उपलब्ध होने का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव की दोनों प्रतियॉ इस कार्यालय को वापस की गयी हैं। क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक 12.10.2017 के कम में परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0,देहरादून ने अपने पत्र दि0 10.10.17 द्वारा एन0पी0वी0 की नये प्रारूप में गणना तथा प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि का विवरण दिनांक 03.11.2017 को इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः उ0प्र0शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक 02.11.2017 के अनुपालन में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दि0 14.08.2017 के बिन्दु–4, 8 एवं 9 का निराकरण हेतु वन संरक्षक सहारनपर के पत्रांक–727/14–10, दि0 04.09.2017, बिन्दु–4, 8 से सम्बन्धित सूचना के निराकरण हेतु वन संरक्षक, सहारनपर के पत्रांक–1225/14–10, दि0 09.10.2017, बिन्दु–9 से सम्बन्धित सूचना के निराकरण हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0,देहरादून के पत्र दि0 10.10.17 द्वारा तथा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0,देहरादून के पत्र दि0 03.11.17 द्वारा प्राप्त एन0पी0वी0 की नये प्रारूप में गणना तथा प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि का विवरण की संलग्नक सहित छायाप्रति एवं संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियॉ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकःप्रस्ताव की दो प्रतियॉ।

भवदीय,

6/11

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 1272 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में वन संरक्षक, सहारनपुर व परियोजना निदेशक, के पत्रों की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
2– प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, **शिवालिक एवं सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर।**
3– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0,देहरादून, मकान नं0–5 लेन नं0–4, तेगबहादर रोड, देहरादून।

6/11

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।